

12-09-17

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0।

आरोपी निरोध में जेल गोहद से मय वारण्ट पेश की ओर से अधिवक्ता श्री बी0एस0यादव उप0।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

प्रकरण में अभियोजन साक्षी सूरजभान अ0सा03 साक्ष्य हेतु उप0 जिसे परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया।

आज दिनांक को फरियादी सूरजभान उप0 हैं। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा द्वारा की गयी है।

इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं आज दिनांक को फरियादी सूरजभान उप0 है फरियादी द्वारा व्यक्त किया गया है कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं। चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं। अतः उक्त प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री पंकज शर्मा के न्यायालय में भेजा जाता है। इस संबंध में रिफरल ऑर्डर जारी किया जावे।

उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह मीडिएशन हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री पंकज शर्मा के न्यायालय में उपस्थित रहें।

प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट हेतु चायकाल पश्चात पेश हो।

सही/-

जे0एम0एफ0सी0, गोहद

पुनश्च:

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0

आरोपी निरोध में जेल गोहद से मय वारण्ट पेश की ओर से अधिवक्ता श्री बी0एस0यादव उप0।

प्रकरण में मीडियेशन रिपोर्ट प्राप्त। अभिलेख में संलग्न की गयी।

फरियादी सूरजभान उपस्थित हैं।

इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा दप्रस की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी पर भाद०स० की धारा 504, 325, के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। भादस की धारा 504, 325 न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है। फरियादी सूरजभान ने आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप हैं। अतः बाद विचार उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राजीनामे के आधार पर आरोपी मुकेश को भादस की धारा 504 एवं 325 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी के जेल वारंट पर आरोपी की दोषमुक्ति के संबंध में टीप अंकित की जावे।

प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को अभिलेखागार भेजा जावे।

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जेएमएफसी, गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)